

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) मध्य प्रदेश, ग्वालियर
O/o the Principal Accountant General (Audit-I) MP, Gwalior

क्र.प्रशा.-12/स.-6/एम.ए.सी.पी./वि.उ./फा-16/भाग-(III)/का.आ.-160

दिनांक: 19.01.2021

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 28-ऑडिट (रूल्स)-8-2009 दिनांक 20.05.2009 के साथ प्राप्त भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-स्था-(डी.) दिनांक 19.05.2009 द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु दिनांक 01.09.2008 से लागू "परिवर्धित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना" के अंतर्गत दिए गए निर्देशानुसार निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गयी तिथि एवं वेतन लेवल में वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:-

Following Official is granted financial upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme, which is in force w.e.f. 01.09.2008 for Central Government Officers/Officials vide GOI Ministry of Public Grievance and Pension, Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.05.2009 received with headquarters letter No. 28-Audit(Rules)-8-2009, dated 20.05.2009 from the date and in the Pay Level shown against his name :-

Sl. No.	नाम एवं पद, स्थाई क्रमांक Name & post, Prmtt No. सर्वश्री-S/Shri	वर्तमान वेतन लेवल Present Pay Level	प्रदाय वित्तीय उन्नयन Financial upgradation granted			कार्यालय Office
				दिनांक Date	वेतन लेवल Pay Level	
1.	Ashok Babu Reckwar, Sr.Ar. (03/10334)	6	3 rd	03.01.2021	Level 7	O/o the PAG (Audit-I) MP, Gwalior

1. उपरोक्त कर्मचारी को केवल उच्च वेतन लेवल प्रदान किया गया है इससे उच्च पद पर क्रियात्मक (Functional)/ नियमित प्रदान नहीं मानी जावेगी ।

Above Official has been granted higher Pay Level only, which will not be treated as functional/regular promotion.

2. भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19.05.2009 के साथ संलग्न अनुलग्नक-I (Annexure-I) में वर्णित शर्तों के अधीन परिवर्धित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया वित्तीय उन्नयन संबंधित कर्मचारी का व्यक्तिगत होगा। इसका उनके संवर्ग की वरियता से कोई संबंध नहीं होगा ।

As per the terms & Conditions mentioned in the Annexure-I of Office Memorandum dated 19.05.2009, financial Upgradation under MACPS shall be purely personal to the official and shall have no relevance to his seniority position in the cadre.

3. वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प यह आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर संबंधित प्रशासन अनुभाग में प्रस्तुत करें ।

Option for Pay fixation may be submitted in concerned admin section within a month from the date of issue of this order.

4. यदि किन्ही परिस्थितियों में प्रदान किये गये वित्तीय उन्नयन में बदलाव/वापस लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है तब वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली उनके वेतन से की जावेगी ।

If the financial upgradation granted is modified or withdrawn under any circumstances, the excess payment due to grant of financial upgradation will be recovered from his salary.


हस्ता, :-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिवक्ता 12

क्र.प्रशा.-12/स.-6/एम.ए.सी.पी./वि.उ./फा-16/भाग-(III)/STR-I/987 - 1002

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) म.प्र., ग्वालियर ।
2. उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय प्र.म.ले. (लेखापरीक्षा-I) म.प्र., ग्वालियर ।
3. उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रेषित।
4. निदेशक, वित्त एवं संचार (लेखा परीक्षा), संचार भवन ऐनेक्सी होशंगाबाद रोड, मध्यप्रदेश, भोपाल- 462011
5. कल्याण अधिकारी ।
6. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11, 12(पदक्रम सूची) 13, 14, गोपनीय कक्ष, विधि कक्ष, प्रशिक्षण, सामान्य अनुभाग ।
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS&DAC, को Administration-Personnel लिंक एवं इंटरनेट के अंतर्गत अपलोड करने हेतु।
8. भुगतान एवं लेखा परीक्षा अधिकारी, लेखा भवन, ग्वालियर ।
9. श्री अम्बुज कुमार पाण्डेय, स.ले.प.अ, प्रशा.-14 को इंटरनेट/इन्ट्रानेट संबंधी कार्य हेतु।
10. महामंत्री, आडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर ।
11. संबंधित कर्मचारी/सूचना पटल ।


19/1/2021

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन- 12